

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक—प्र०/SBPDCL-05/2025—

/पटना, दिनांक—

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :- आर०डी०एस०एस० योजना अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) के कुल 13 प्रमण्डलों के विरुद्ध 09 प्रमण्डलों में भूमिगत केबलिंग एवं स्काडा—डी०एम०एस० के कार्यों हेतु एवं इसके अतिरिक्त पेसू के शेष 04 प्रमण्डलों यथा— दानापुर, खगौल, गुलजारबाग एवं कंकड़बाग—2 में भी स्काडा—डी०एम०एस० के क्रियान्वयन हेतु कुल 653.00 करोड़ (छः सौ तिरपन करोड़) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30.00 करोड़ (तीस करोड़) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश—स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या—292 दिनांक—21.01.2026 द्वारा आर०डी०एस०एस० योजना अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) के कुल 13 प्रमण्डलों के विरुद्ध 09 प्रमण्डलों में भूमिगत केबलिंग एवं स्काडा—डी०एम०एस० के कार्यों हेतु आर०ई०सी० लि० द्वारा अनुसंशित 576.74 करोड़ (पाँच सौ छिहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख) रुपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात् 346.04 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चार लाख) रुपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 230.70 करोड़ (दो सौ तीस करोड़ सत्तर लाख) रुपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने एवं इसके अतिरिक्त पेसू के शेष 04 प्रमण्डलों यथा— दानापुर, खगौल, गुलजारबाग एवं कंकड़बाग—2 में भी स्काडा—डी०एम०एस० के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त 76.26 करोड़ (छिहत्तर करोड़ छब्बीस लाख) रुपये राज्य योजना से स्वीकृति अर्थात् कुल 653.00 करोड़ (छः सौ तिरपन करोड़) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रुपये हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अबतक 20.00 करोड़ रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30.00 करोड़ रुपये की मांग साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में आर०डी०एस०एस० योजना अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) के कुल 13 प्रमण्डलों के विरुद्ध 09 प्रमण्डलों में भूमिगत केबलिंग एवं स्काडा—डी०एम०एस० के कार्यों हेतु एवं इसके अतिरिक्त पेसू के शेष 04 प्रमण्डलों यथा— दानापुर, खगौल, गुलजारबाग एवं कंकड़बाग—2 में भी स्काडा—डी०एम०एस० के क्रियान्वयन हेतु कुल 653.00 करोड़ (छः सौ तिरपन करोड़) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30.00 करोड़ (तीस

करोड) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बजट मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900106 विषय शीर्ष-54.01-निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता संख्या-PTSPLA017) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0047-साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200047 में जमा की जाएगी।
5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या-PTSPLA017 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/SBPDCL-05/2025 के पृष्ठ संख्या-25/टि० पर दिनांक-13.01.2026 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/SBPDCL-05/2025 के पृष्ठ संख्या-36/टि० पर दिनांक-21.09.2026 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/SBPDCL-05/2025-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/SBPDCL-05/2025- 4928 /पटना, दिनांक- 28.09.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग(तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

1-1-70 22

2000

1-1-70 22